

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

<p>वादी मनाष कुमार पुत्र आनन्दीलाल माता सुरझान कंवर ब्राह्मण हरियाजून</p>	<p>ब ना म</p>	<p>प्रतिवादीगण रामजीलाल पुत्र सीताराम ब्राह्मण हरियाजून वगैरह</p>
<p>राजस्व वाद- स्थाई निषेधाज्ञा भू-विभाजन, इस्तकरार हक व रिकार्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88, 53 188 R.T.Act 1955</p>		
<p>वाद-पत्र नम्बर 89 / 2021</p>		<p>GCMS No. 2021/362</p>
<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज</p>	
<p>05.08.2021</p>	<p>वकील वादी द्वारा यह राजस्व दावा स्थाई निषेधाज्ञा भू-विभाजन, इस्तकरार हक व रिकार्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88, 53 188 R.T.Act 1955 के तहत प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया। राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनांक 08.09.2021को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)</p> <p><u>8/9/2021</u> पत्रावली पेश हुई आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राजकार्य सचिवालय में बाहर पधारे हैं। अतः पत्रावली दिनांक 29/9/2021 को पेश हो।</p> <p><u>29/9/2021</u> पत्रावली पेश हुई आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राजकार्य सचिवालय में बाहर पधारे हैं। अतः पत्रावली दिनांक 11.10.2021 को पेश हो।</p> <p><u>11/10/2021</u> पत्रावली पेश हुई आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राजकार्य सचिवालय में बाहर पधारे हैं। अतः पत्रावली दिनांक 28/10/2021 को पेश हो।</p> <p><u>28/10/2021</u> वकील वादी एवं वादी के डाय अर्पित कर प्रस्तुत करने पर पत्रावली राजस्व कर्म वीपसय "पत्रावली संख्या के संख्या 2021" के क्रियान्वयन नम्बर पर ही जारी प्रारम्भ पर के कथन किया है कि वाद जारी</p>	

अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए



शासक पत्र क्र. 89/2021 मनीष कुमार शर्मा

आजै एही पत्रमा चारै । इस्तीफा वाद वादी
परिषे विडोस खादिज कारकावा जावे । प्रमोद -
पर वादी स्वीकार किला जाय है नून वाद वादी
परिषे विडोस खादिज किला जाय है पत्रमा एही
केलाम शुभार केकर नमक ले एम देखर अलिष
पत्रमा है

प्रमोद अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)